

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
गया/नवादा/मुंगेर/जहानाबाद/  
कैमूर (भभुआ)/शेखपुरा/सीवान तथा लखीसराय।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

**विषय:-** विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त अधियाचित राशि का आवंटन।

**प्रसंग :-** जिला पदाधिकारी, गया का पत्रांक-56, दिनांक 03.09.2015, पत्रांक-38/15-2, दिनांक 01.01.2016, नवादा का पत्रांक-445, दिनांक 26.12.2015, मुंगेर का पत्रांक-25, दिनांक 13.01.2016, जहानाबाद का पत्रांक-2133, दिनांक 31.10.2015, कैमूर (भभुआ) का पत्रांक-1851, दिनांक 10.11.2015, पत्रांक-40, दिनांक 04.02.2016, शेखपुरा का पत्रांक-1919, दिनांक 02.11.2015, सीवान का पत्रांक-584, दिनांक 28.11.2015 तथा लखीसराय का पत्रांक-50, दिनांक 02.02.2016 एवं पत्रांक-47, दिनांक 02.02.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आपसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय पत्रांक-07, दिनांक 23.06.2015, पत्रांक-10, दिनांक 11.08.2015 एवं पत्रांक-12, दिनांक 11.10.2015 द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त संलग्न विवरणी-1 के अनुसार कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में क्रमशः ₹ 2,46,75,000, ₹ 3,68,23,000 एवं ₹ 2,50,86,000 यानि कुल ₹ 8,65,84,000 (आठ करोड़ पैंसठ लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना की मांग सं0-22 मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009- प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय, 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अंतर्गत सभी व्यय के लिए वित्त विभाग के पत्रांक-5294/वि0(2) दिनांक 17.06.2015 द्वारा प्रावधानित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाये।
12. वांछित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र छह माह के अंदर समर्पित किया जाये।
13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

अनुलग्नक-विवरणी-।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-31/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गया/नवादा/मुंगेर/जहानाबाद/कैमूर (भभुआ)/शेखपुरा/सीवान तथा लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-31/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/दरभंगा/मगध प्रमंडल, गया तथा मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-।


ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-31/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक 18 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-।



सरकार के प्रधान सचिव

9/3/16

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना के मांग सं0-22 तथा मुख्य शीर्ष-2055-मुलिरा, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-प्रतिनिधित अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय विषय शीर्ष 13 01- कार्यालय व्यय 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि का खिलावार विवरण :-

क्र0	खिला का नाम	13 01-कार्यालय व्यय			13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव			28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं			कुल आवंटित राशि			
		पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	गाथा	5280000	13335000	18615000	11040000	20091000	31131000	13200000	700000	13900000	29520000	34126000	636	
2	नवादा	4396000	996000	5392000	14058000	0	14058000	9436000	0	9436000	27890000	996000	288	
3	मुरौर	3980000	400000	4380000	5640000	0	5640000	6950000	5300000	12250000	16570000	5700000	222	
4	जहानाबाद	2198000	4241000	6439000	4529000	1500000	6029000	4718000	6105000	10823000	11445000	11846000	232	
5	कैमूर (समुआ)	3454000	223000	3677000	7117000	5372000	12489000	7414000	278000	7692000	17985000	5873000	238	
6	शेखपुरा	1320000	0	1320000	2760000	1200000	3960000	3300000	0	3300000	7380000	1200000	85	
7	सीवान	4180000	4020000	8200000	8740000	8660000	17400000	10450000	9550000	20000000	23370000	22230000	456	
8	लखीसराय	1540000	1460000	3000000	3220000	0	3220000	3850000	3153000	7003000	8610000	4613000	132	
	योग	26348000	24675000	51023000	57104000	36823000	93927000	59318000	25086000	84404000	142770000	86584000	22933	

(आठ करोड़ पैचाह लाख नौरसती हजार रुपये)

(आमिर सुबहानी)  
सरकार के प्रधान सचिव

3-3-16